न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :– 02 / 116 / 1999

शिम्भू बनाम बट्टूनाथ

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.06.1999 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 555, 558, 559, 560 वाके ग्राम नांगलकरणा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.08.1999 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी को जरिये रहन बय आदी द्वारा दीगर जगह मुन्तकिल न करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामील उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 25.04.2011 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 1999 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 19 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण में आराजी विवादित की दावे के निर्णय तक पूर्व आदेश टी.आई. को स्थाई करना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 555, 558, 559, 560 वाके ग्राम नांगलकरणा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 30.06.1999 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)